प्रेस नोट दिनांक 18.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

युवक की गला घोंटकर की गई हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस व स्वॉट टीम द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 04 अभियुक्तों, मो0 शमीम, मो0 जमील, अयान अहमद, सलीम को थाना क्षेत्रान्तर्गत भिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया-

प्रेम-प्रसंग में युवती के पिता, चाचा व चचेरे भाई द्वारा युवक की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास, 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13/14.11.2026 की रात्रि थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसरापुर निवासी वादी का पुत्र घर के बरामदे के बगल स्थित कमरे में सो रहा था। दिनांक 14.11.2026 को प्रातः वादी द्वारा अपने पुत्र को कई बार आवाज देने पर कोई उत्तर न मिलने पर कमरे का दरवाजा खोलकर देखा गया तो उसका पुत्र तख्त पर मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके गले में इलेक्ट्रिक तार से गला घोंटकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या किया जाना पाया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 165/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में स्थानीय पुलिस एवं गठित टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना का सफल अनावरण कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अनुपम त्रिपाठी मय हमराह व स्वाट टीम प्रभारी अमित कुमार चौरसिया मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग, लंबित विवेचनाओं एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 165/2026 धारा 103(1) बीएनएस में बढ़ोत्तरी धारा 61(2)(क) बीएनएस से संबंधित वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में 1. मो0 शमीम पुत्र शौकत अली उम्र करीब 40 वर्ष को उसके ग्राम परसरामपुर स्थित घर के पास से तथा 2. मो0 जमील पुत्र शौकत अली उम्र करीब 28 वर्ष, 3. अयान अहमद पुत्र मो0 शमीम उम्र करीब 19 वर्ष एवं 4. सलीम पुत्र

शौकत अली उम्र करीब 35 वर्ष, निवासीगण ग्राम परसरामपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत कुटुलिया चौराहे से अंदर शोभीपुर जाने वाले रास्ते पर नहर के किनारे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. मो0 शमीम पुत्र शौकत अली उम्र करीब 40 वर्ष,
2. मो0 जमील पुत्र शौकत अली उम्र करीब 28 वर्ष,
3. अयान अहमद पुत्र मो0 शमीम उम्र करीब 19 वर्ष,
4. सलीम पुत्र शौकत अली उम्र करीब 35 वर्ष, निवासीगण ग्राम परसरामपुर, थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त मो0 सलीम की पुत्री नरगिस एवं मृतक मो0 आरिफ उर्फ शकील के मध्य प्रेम संबंध थे। इस बात की जानकारी होने पर अभियुक्तगण मो0 सलीम, उसके भाई मो0 जमील व मो0 शमीम तथा भतीजे अयान अहमद द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने एवं गांव के लोगों द्वारा ताना मारे जाने से क्षुब्ध होकर मो0 आरिफ की हत्या करने की योजना बनाई गई। योजना के अनुसार दिनांक 13/14.11.2026 की रात्रि करीब 12:00 बजे चारों अभियुक्त मृतक के घर पहुंचे, जहां अभियुक्त मो0 सलीम घर के बाहर सड़क पर आने-जाने वाले लोगों की निगरानी करने के लिए खड़ा हो गया तथा अभियुक्त मो0 जमील, मो0 शमीम एवं अयान अहमद मृतक के कमरे में घुस गए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने एवं पुलिस से बचने के उद्देश्य से मृतक के गले में बिजली का तार डालकर छत की घुंडी से लटका दिया गया। अभियुक्त मो0 सलीम की निशानदेही पर मृतक से बातचीत करने में प्रयुक्त एक अदद की-पैड मोबाइल फोन ACE नीले रंग का बरामद किया गया। पूछताछ एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2)(क) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी मान्धाता श्री अनुपम त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा, का0 ज्वाला सिंह, का0 हरिपाल, का0 सर्वेश पाण्डेय, म0का0 रोमी सिंह, म0का0 पूजा यादव मय चालक सहायक उ0नि0 राजेश सिंह, थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम-
स्वाट टीम प्रभारी अमित कुमार चौरसिया मय टीम उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 मोहित राज यादव, हे0का0 धनन्जय राय, का0 सचिन, का0 सलमान, का0 सनोज, का0 अरविन्द दूबे, का0 जागीर सिंह, हे0का0 चालक महेन्द्र प्रताप, हे0का0 चालक राजेन्द्र कुमार।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, उमाप्रकाश तिवारी उर्फ गुड्डू व पवन कुमार मिश्रा को थाना क्षेत्रान्तर्गत जलपा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16.11.2026 की शाम को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परदहा सुमेर निवासी वादी के भाई जिलाजीत गौतम घर से किसी कार्य हेतु निकले थे, जो वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। दिनांक 17.11.2026 को प्रातः करीब 05:00 बजे ग्रामीणों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि जिलाजीत गौतम का लहूलुहान शव ग्राम परदहा सुमेर में खड़ंजे पर पड़ा हुआ है। सूचना पर डायल-112 एवं चौकी सैफाबाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रकरण में घटनास्थल के समीप स्थित गुड्डू तिवारी पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम परदहा सुमेर, पवन मिश्रा एवं माला तिवारी पत्नी सूर्यप्रकाश तिवारी के घर से खून से सने लाठी-डण्डे एवं अन्य हथियार बरामद हुए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 302/2026 धारा 103(1) बीएनएस एवं 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृतक के शव का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था सामान्य है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में स्थानीय पुलिस एवं गठित टीमों द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए घटना का सफल अनावरण कर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री धनंजय राय के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 योगेन्द्र सिंह (चौकी प्रभारी सैफाबाद) मय हमराह उ0नि0 श्री रियाजुद्दीन अहमद, का0 प्रतीक कुमार, का0 विनय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 302/26 धारा 103 (1) बीएनएस व 3 (2)v sc/st थाना आसपुर देवसरा जदनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तों, 01. उमाप्रकाश तिवारी उर्फ गुड्ड पुत्र माता प्रसाद तिवारी नि0 ग्राम परदहा सुमेर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़, 2. पवन कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश मिश्रा नि0ग्रा0 बछुआर थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत जलपा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया कि बीती रात में परदहा सुमेर में जो मारपीट की घटना हुई थी जिसमें हमने जिलाजीत की हत्या कर दी थी। जिलाजीत को हम लोग लकडी के डण्डे से मारे थे जिसके सम्बन्ध में हम लोगों को जानकारी हुई कि थाने पर हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और पुलिस को पता चल गया है कि हम लोगों ने ही हत्या की है। और पुलिस हम लोगों को पकड़ने के लिये तलाश कर रही है तो हमलोग पकडे जाने के डरसे लुक छिपकर यहां से भागने के प्रयास में थे परन्तु आप लोगों ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. उमाप्रकाश तिवारी उर्फ गुड्ड पुत्र माता प्रसाद तिवारी नि0 ग्राम परदहा सुमेर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
2. पवन कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश मिश्रा नि0ग्रा0 बछुआर थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 योगेन्द्र सिंह (चौकी प्रभारी सैफाबाद) मय हमराह उ0नि0 श्री रियाजुद्दीन अहमद, का0 प्रतीक कुमार, का0 विनय कुमार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

चोरी की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी से शेष बचे 1,030 रुपये नगद एवं 02 मोबाइल फोन बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा चोरी की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों, देवव्रत मिश्रा व आदित्य मिश्रा गिरफ्तार गिरफ्तार, चोरी के सामान को बेचकर बचे शेष 1,030 रुपये नगद एवं 02 मोबाइल फोन बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण
प्रथम घटना-
वादी निवासी ग्राम सुजाखर, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना सांगीपुर पर तहरीर दी गई कि वादी ने सिंचाई के उद्देश्य से अपनी भूमिधरी भूमि स्थित ग्राम सुजाखर में सबमर्सिबल पम्प लगवाया है। इसके रख-रखाव हेतु बनाए गए पक्के कमरे में फसलों की सुरक्षा के लिए झटका मशीन रखी हुई थी। दिनांक 10.10.2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उक्त कमरे से 02 झटका मशीन, 02 बैटरी एवं 02 चार्जर चोरी कर लिए गए। प्राप्त तहरीर पर थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 237/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

द्वितीय घटना-

दिनांक 16.11.2026 को वादी के घर की छत पर लगे सोलर पैनल को अभियुक्तगण 1. लवकुश वर्मा पुत्र बचोली एवं 2. आनन्द कुमार मिश्रा पुत्र पंकज मिश्रा, निवासीगण ग्राम सुदामा पाण्डेय का पुरवा, देउम पूरब, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा चोरी कर ले जाया जा रहा था। गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त होने पर वादी द्वारा ग्रामीणों की मदद से दोनों अभियुक्तों को चोरी किए गए सोलर पैनल सहित पकड़ लिया गया। घटना की सूचना तत्काल थाना सांगीपुर पुलिस को दी गई तथा पुलिस के मौके पर पहुँचने पर बरामद सोलर पैनल व दोनों अभियुक्तों को आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 271/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 नरेश कुमार एवं का0 बौद्ध प्रकाश द्वारा चोरी की दो घटनाओं से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, देवव्रत मिश्रा एवं आदित्य मिश्रा को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत देउम चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि में से शेष बचे 1,030 रुपये नगद बरामद किए गए।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि करीब एक माह पूर्व उन दोनों ने अपने दो अन्य साथियों आनंद कुमार मिश्रा उर्फ रूद नारायण मिश्रा एवं लवकुश वर्मा उर्फ सतेन्द्र वर्मा के साथ मिलकर सुजाखर के पास खेत में बने एक कमरे से झटका मशीन एवं बैटरी चोरी की थी। चोरी किए गए सामान को दो दिन पूर्व एक फेरी करने वाले कबाड़ी को 6,000 रुपये में बेच दिया था, जिसके बाद चारों ने प्राप्त धनराशि आपस में बराबर-बराबर बांट ली थी। बरामद 1,030 रुपये उक्त चोरी के सामान को बेचने से प्राप्त धनराशि में से शेष बचे हुए रुपये बताए गए।

अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर देउम पूरब रमना के कोटेदार के यहां से सोलर पैनल चोरी किए थे, जिन्हें उनके साथी आनंद मिश्रा उर्फ रूद नारायण मिश्रा ने अपने खेत में छिपाकर रखा था तथा उन्हें बेचने की योजना बनाई गई थी। इसी दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में उनके साथी पकड़े गए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -
1. देवव्रत मिश्रा पुत्र श्याम बिहारी मिश्रा निवासी ग्राम पूरे शिवगुलाम, देउम पूरब, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 33 वर्ष।
2. आदित्य मिश्रा पुत्र शैलेश मिश्रा निवासी ग्राम पूरे शिवगुलाम, देउम पूरब, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त धनराशि में से शेष बचे 1,030 रुपये नगद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 नरेश कुमार एवं का0 बौद्ध प्रकाश, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।